हिन्दी पाक्षिक

महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561

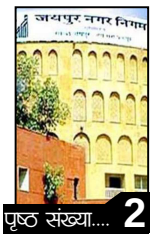

पृष्ठ संख्या.... 2

❐ वर्ष-8 ❐ अंक-9 जयपुर, बुधवार 1 मई, 2024 ❐ एक प्रति 5 रुपये ❐ कुल पृष्ठ-4

राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 62.10 प्रतिशत

जयपुर। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत राजस्थान के सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 62.10 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ईवीएम के माध्यम से 61.53 प्रतिशत और पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.57 प्रतिशत मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार राज्य में वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव में 66.34 प्रतिशत मतदान हुआ था। लोकसभा आम चुनाव-2024 में वर्ष 2019 के मुकाबले 3 लोकसभा क्षेत्रों बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा के मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई है। इस वर्ष बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक और करौली-धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है।

8 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाएं पुरूषों से आगे

गुप्ता ने बताया कि 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां महिलाओं ने पुरूषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। इसमें द्वितीय चरण वाले 5 और प्रथम चरण वाले 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। द्वितीय चरण के तहत राज्य के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान 65.52 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ईवीएम के माध्यम से 65.03 प्रतिशत और पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.49 फीसदी मतदान हुआ। राज्य में प्रथम चरण के तहत 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान कुल 58.28 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से हुआ 0.64 प्रतिशत मतदान भी शामिल हैं।

18-19 वर्ष आयु के करीब 60 प्रतिशत मतदाताओं ने किया मतदान

जयपुर (नि.सं.)। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत 18-19 वर्ष आयु के कुल पंजीकृत 16,64,845 नव मतदाताओं में से कुल 9,91,505 ने मतदान किया है। इस आयु वर्ग के करीब 60 फीसदी मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सर्वाधिक 77.93 फीसदी मतदान बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र और सबसे कम 47.44 प्रतिशत मतदान करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। 4 लोकसभा क्षेत्रों में 70 प्रतिशत के अधिक मतदान हुआ है। वहीं, 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां इस श्रेणी के औसत मतदान से अधिक मतदान हुआ है।

बाड़मेर में वर्ष 2019 को मुकाबले 8.16 प्रतिशत की वृद्धि

श्री गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान 18-19 वर्ष आयु के कुल पंजीकृत 13,82,834 नव मतदाताओं में से कुल 10,60,637 ने मतदान किया था। इस दौरान इस श्रेणी के करीब 76.70 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान 4 लोकसभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 के मुकाबले अधिक मतदान दर्ज किया गया है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में 66.43 फीसदी मतदान हुआ था, इस बार यह आंकड़ा 74.59 फीसदी हो गया है। वर्ष 2019 के मुकाबले इस वर्ष कोटा लोकसभा क्षेत्र में मतदान 67.95 प्रतिशत से बढ़कर 73.39 प्रतिशत, अलवर में 54.41 प्रतिशत से बढ़कर 55.08 और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 61.48 प्रतिशत से बढ़कर 62.01 प्रतिशत हो गया है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 8.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोटा लोकसभा क्षेत्र में 5.44 प्रतिशत मतदान बढ़ा है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग विषय पर सम्मेलन आयोजित

नई दिल्ली। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने 20 अप्रैल को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों और प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, आईटीएटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यय अधिवक्ता, शिक्षाविद, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, लोक अभियोजक, जिला न्यायाधीश और अन्य अधिकारी तथा कानून के छात्र शामिल थे। यह सम्मेलन तीन आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधिनियमन की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था, जिन्हें 1 जुलाई, 2024 से लागू किया जाएगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में केन्द्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव एस.के.जी. रहाटे शामिल रहे। स्वागत भाषण में, कानून और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि ने तीनों आपराधिक कानूनों के अधिनियमन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला और बताया कि ये कानून किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कानूनी संरचना और रूपरेखा, जिन्हें कानून का शासन स्थापित करने के दिखावटी आधार पर भारत में ब्रिटिश शासन को कायम रखने के लिए लागू किया गया था, से बाहर आते हैं। मौजूदा आपराधिक कानूनों को, जिनकी उत्पत्ति औपनिवेशिक युग में हुई थी, सामने प्रस्तुत करने और राज्य-नागरिक संबंध को औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों और प्रथाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सभी के लिए न्याय तक पहुंच के सिद्धांतों पर परिभाषित करने की आवश्यकता है। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को नागरिक-केंद्रित बनाने के क्रम में इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए उपरोक्त तीन कानून बनाए गए हैं।

मुख्य भाषण देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) डिजिटल युग में अपराधों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। बीएनएसएस यह भी निर्धारित करती है कि आपराधिक मुकदमे तीन साल में पूरे होने चाहिए और फैसले आरक्षित होने के 45 दिनों के भीतर सुनाए जाने चाहिए। इससे बड़े पैमाने पर लंबित मामलों को निपटाने और तेजी से न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की एक धारा सभी मुकदमों, जांच और अदालती प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित करने की सुविधा देती है। उन्होंने विशेष रूप से अदालती प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और डिजिटल साक्ष्य के संदर्भ में, डिजिटल युग में गोपनीयता की रक्षा के महत्व पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तीनों आपराधिक कानून में ऐसे प्रावधान हैं, जो हमारे समय के अनुरूप हैं, लेकिन इन कानूनों से पूरी तरह से लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में सभी हितधारकों के लिए पर्याप्त अवसंरचना निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने सभी के लिए कुशल मुकदमा प्रबंधन हेतु तकनीकी रूप से सुसज्जित न्यायालय प्रणाली बनाने के लिए डिजिटल कोर्ट अवसंरचना के निर्माण पर भी प्रकाश डाला। सीजेआई ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि कानून और उनका कार्यान्वयन एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है। किसी भी कानून या उसके कार्यान्वयन के तरीके की कोई अंतिम सीमा नहीं है। हालाँकि, हमें समय की जरूरतों के अनुरूप सकारात्मक बदलावों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे शुरू में औपनिवेशिक शासकों के परिप्रेक्ष्य से लागू किया गया था और इसमें भारतीय मूलभाव और लोकाचार का अभाव था।

सम्मेलन को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणि, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता तथा कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव श्री एस.के.जी. रहाटे शामिल थे। सम्मेलन में क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पर तीन तकनीकी सत्र आयोजित किये गए। इन सत्रों में नए युग के अपराधों पर कानून के प्रभाव, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रभावित करने वाले प्रक्रियात्मक बदलावों और कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य स्वीकार्यता की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया। पहले तकनीकी सत्र में भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) के कार्यान्वयन का आकलन करने और भविष्य की जरूरतों का समाधान करने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर गहन चर्चा हुई। सत्र की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने की।

दूसरे तकनीकी सत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) द्वारा शुरू किए गए प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के प्रभाव, न्यायिक और पुलिस अधिकारी कैसे उनसे निपट सकते हैं तथा न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कामकाज पर इसके व्यावहारिक प्रभाव पर चर्चा की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने सत्र की अध्यक्षता की।

तीसरे तकनीकी सत्र में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बीएसए) के मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दस्तावेजों/साक्ष्यों की पहचान करना, इलेक्ट्रॉनिक सम्मन की सुविधा देना आदि। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. डी. सिंह ने इस सत्र की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की समाप्ति समापन सत्र के साथ हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त (प्रशिक्षण) सुश्री छाया शर्मा सम्मानित अतिथि थीं। अपने संबोधन में, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने तीनों आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और उसके नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पर बीएनएस का विशेष जोर प्रभावी और समय पर न्याय सुनिश्चित करेगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि नए अधिनियम स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान करते हैं, पहुंच सुनिश्चित करते हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त (प्रशिक्षण) सुश्री छाया शर्मा ने नए कानूनों की परिवर्तनकारी क्षमता और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की पहल को रेखांकित किया। उन्होंने किसी भी तलाशी और जब्ती के दौरान अनिवार्य वीडियोग्राफी तथा संगठित और असंगठित अपराध के बीच अंतर करने से जुड़े कानून के प्रावधानों का स्वागत किया। समापन सत्र की समाप्ति विधि कार्य विभाग की अपर सचिव डॉ. अंजू राठी राणा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुई।

संपादकीय

प्रदेष में कम वोटिंग है चिंता की बात

लोकतंत्र में मतदाता सर्वेसर्वा होता है। लोकतंत्र एक अनूठी प्रणाली हैं, जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव हो रहे है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके है। पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हुआ था, सातवें एवं अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। राजस्थान में दो चरणों में घोषित मतदान में प्रथम चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ। दूसरा चरण 26 अप्रेल को हुआ जिसमें राज्य की 13 लोकसभा सीटों के लिए मत डाले गए। राज्य की कुल 25 सीटों के लिए हुए मतदान में इस बार मतदाताओं में उत्साह कम देखा गया। वोट डालने के प्रति लोगों का जोश और उत्साह विगत 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुपात में कम दिखा। वहीं पिछले साल 2023 में राज्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली जिसमें 74.13 प्रतिशत मतदान हुआ था। लेकिन यह लोकसभा में देखने को नहीं मिली। 2019 में भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने चुनाव इतिहास का रिकार्ड तोड़कर वोटिंग का नया इतिहास रचा था। इस बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों पर कम वोटिंग हुई। निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 58.28 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं 13 सीटों पर 65.52 फीसदी वोट डले। इस प्रकार दोनो चरणों को मिलाकर कुल 62.110 फीसदी वोटिंग हुई। प्रथम चरण में हुई कम वोटिंग के मुकाबले दूसरे चरण में थोड़ी ज्यादा वोटिंग देखने को मिली। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक और करौली-धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ। इस बार कम वोटिंग राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंताजनक तो है ही साथ ही निर्वाचन विभाग के लिए सोचने की बात होगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग काफी प्रयास करता है। मतदाता जागरूक अभियानों के माध्यम से मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन इन चुनावों में कम वोटिंग के पीछे कारणों को खोजना होगा। स्वयं मतदाताओं को भी वोट देने के प्रति सजग एवं उत्साहित रहना चाहिए। बहराहल प्रदेश में चुनावों के दोनों चरण पूरे हो गए। राजनीतिक पार्टीया गुणा भाग में लगी है। मतदाता ने किसे चुना है इसका फैसला 4 जून को आने वाले परिणामों से स्पष्ट हो जाएगा। मतदान स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। मतदाता को अपनी भागीदारी निभाने के लिए हमेशा तैयार एवं तत्पर रहता जरूरी है।

रामलीला मैदान से हनुमान जी की शोभायात्रा निकली

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हनुमान जयंती के दूसरे दिन 24 अप्रैल को रामलीला मैदान से स्वर्ण मंडित हनुमानजी के मुख्य रथ की शोभायात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने संत-महंतों की उपस्थिति में मुख्य रथ पर विराजमान हनुमान जी की आरती उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने शोभायात्रा का पूजा कर शुभारंभ करते हुए हनुमान जी से प्रदेशवासियों की खुशहाली और संपन्नता की कामना की। रामलीला मैदान से प्रारंभ हुई हनुमान जी की शोभायात्रा में चालीस के करीब आकर्षक झांकियां निकाली गईं।

दादासाहेब फालके (1870 से 1944)

दादा साहब फालके के नाम से मशहूर, धुंडीराज गोविंद फालके का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। 1913 में उन्होंने 'राजा हरिश्चंद्र' नामक पूर्ण लंबाई वाली भारत की पहली फीचर फिल्म का निर्माण किया था, जिसके कारण उन्हें श्भारतीय सिनेमा का जनकश् भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वे आरेखण, चित्रकारी, फोटोग्राफी, और अन्य रचनात्मक कलाओं में भी पारंगत थे। अपनी इसी रचनात्मकता को वे फिल्मों में लेकर आए, और अपने जीवनकाल में उन्होंने 100 से अधिक फिल्में बनाईं। फिल्म-उद्योग में उनका योगदान 1969 में भारत सरकार द्वारा स्थापित 'दादा साहब फालके पुरस्कार' से अजर-अमर हो गया है, जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादासाहेब फालके का निधन 16 फरवरी 1944 को नासिक में हुआ था।

विश्व मजदूर दिवस

मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है यह अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ को प्रचारित और बढ़ावा देने के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया के 80 ज्यादा देशों में इस दिन अवकाश रखा जाता है। इस दिन का प्रारम्भ अमरीका में मजदूर आंदोलन, यूरोप व अमरीका में आए औद्योगिक सैलाब का ही एक हिस्सा था। हर जगह आंदोलन चल रहे थे। 1770 के दशक की अमरीका की आजादी की लड़ाई तथा 1860 का गृहयुद्ध से इसे जोड़ा जाता है। इंग्लैंड के मजदूर संगठन विश्व में सबसे पहले अस्तित्व में आया था। 18वीं सदी से लेकर मजदूर एवं ट्रेड यूनियन संगठन 19वीं सदी के अंत तक बहुत मजबूत हो गए थे, क्योंकि यूरोप के दूसरे देशों में भी इस प्रकार के संगठन अस्तित्व में आने शुरू हो गए थे। अमरीका में भी मजदूर संगठन बन रहे थे। वहाँ मजदूरों के आरम्भिक संगठन 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के आरम्भ में बनने शुरू हुए। फर्नीचर बनाने वालों में 1796 में और शिपराइट्स में 1803 में संगठन बने।

मई दिवस की शुरूआत भारत में 1923 में मानी जाती है। इस साल पहली बार मनाया यह दिवस मनाया गया था। सिंगारवेलु चेट्टियार देश के कम्युनिस्टों में से एक तथा प्रभावशाली ट्रेड यूनियन और मजदूर नेता थे। उन्होंने अप्रैल 1923 में भारत में मई दिवस मनाने का सुझाव दिया था, क्योंकि दुनिया भर के मजदूर इसे मनाते थे। उन्होंने फिर कहा कि सारे देश में इस मौके पर मीटिंगे होनी चाहिए। मद्रास में मई दिवस मनाने की अपील की गयी। सिंगारवेलू ने इस दिन मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की घोषणा की तथा उसके घोषणा पत्र पर प्रकाश डाला। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी मीटिंग में भाग लिया। सिंगारवेलू ने बैठक की अध्यक्षता की। उनकी दूसरी बैठक की अध्यक्षता एस. कृष्णास्वामी शर्मा ने की तथा पार्टी का घोषणा पत्र पी.एस. वेलायुथम द्वारा पढ़ा गया। इन सभी बैठकों की रिपोर्ट कई दैनिक समाचार पत्रों में छपी। मास्को से छपने वाले वैनगार्ड ने इसे भारत में पहला मई दिवस बताया। दुबारा 1927 में सिंगारवेलु की पहल पर मई दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार यह उनके घर मद्रास में मनाया गया था। इस दिन उन्होंने मजदूरों तथा अन्य लोगों को दोपहर की दावत दी। शाम को एक विशाल जुलुस निकाला गया, जिसने बाद में एक जनसभा का रूप ले लिया। कहा जाता है कि तत्काल लाल झंडा उपलब्ध न होने के कारण सिंगारवेलु ने अपनी लड़की की लाल साड़ी का झंडा बनाकर अपने घर पर लहराया। वर्तमान में भारत में इस दिन विभिन्न सवैतनिक अवकाश दिया जाता हैं। साथ ही इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें मजदूर एकता का परिचय दिया जाता है। साथ ही जुलूस और सामूहिक गोठ आदि का आयोजन भी होता है।

सीएसआईआर मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का हुआ परिचालन

नई दिल्ली। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह के एक हिस्से के तहत 23 अप्रैल को नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित सीएसआईआर मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर इसे परिचालित किया। यह आयोजन जलवायु परिवर्तन और इसके बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के सीएसआईआर के उद्देश्य को दिखाता है। इस अवसर पर आईआईटी- बॉम्बे के प्रोफेसर और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक चेतन सिंह सोलंकी ने कहा कि देश के हर एक नागरिक को ऊर्जा साक्षर होने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक को यथासंभव ऊर्जा के उपयोग से बचने या

कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉ. शैलेश नायक ने उत्तेजित भूकंपों के रहस्यों को उजागर करना, कोयना में वैज्ञानिक ड्रिलिंग का प्रकाशस्तंभ परियोजना विषय पर सीएसआईआर अमृत व्याख्यान दिया। सीएसआईआर त्वरित आधुनिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी (अमृत) व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तियों के विचारों और सीख से सीखना है, जो सामान्य रूप से अनुसंधान व विकास संगठनों और विशेष रूप से सीएसआईआर के कार्यों को लेकर राह दिखाने में सहायता कर सकते हैं। सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी दिवस हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अनुस्मारक है। उन्होंने बताया कि सीएसआईआर-एनर्जी स्वराज फाउंडेशन समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत सीएसआईआर में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फाउंडेशन की ओर से प्रदान की गई जलवायु घड़ियों को अधिक से अधिक सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में स्थापित किया गया है।

एफटीआईआई के छात्र की फिल्म 77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई

नई दिल्ली। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लॉवर्स वर फर्स्ट वन्स टू नो को फ्रांस के 77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया है। इस फेस्टिवल का आयोजन 15 से 24 मई 2024 तक होने जा रहा है। ला सिनफ इस फेस्टिवल का एक आधिकारिक खंड है, जिसका उद्देश्य नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और दुनिया भर के फिल्म स्कूलों की फिल्मों की पहचान करना है। यह फिल्म दुनिया भर के फिल्म स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कुल 2,263 फिल्मों में से चुनी गई 18 शॉर्ट फिल्मों (14 लाइव-एक्शन और 4 एनिमेटेड फिल्मों) में से एक है। यह कान्स के ला सिनेफकंड में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म है। 23 मई को बुनुएल थिएटर में जूरी सम्मानित फिल्मों

की स्क्रीनिंग से पहले एक समारोह में ला सिनेफ पुरस्कार प्रदान करेगी। सनफ्लॉवर्स वर फर्स्ट वन्स टू नो एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो गांव का मुर्गा चुरा लेती है, जिससे समुदाय में अव्यवस्था फैल जाती है। मुर्गे को वापस लाने के लिए एक भविष्यवाणी लागू की जाती है, जिसमें बूढ़ी महिला के परिवार को निर्वासन में भेज दिया जाता है। यह पहला अवसर है जब 1-वर्षीय टेलीविजन पाठ्यक्रम के किसी छात्र की फिल्म को प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है।

एफटीआईआई की अनूठी अध्यापन कला तथा सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए अभ्यास आधारित सह-शिक्षण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप संस्थान के छात्रों और इसके पूर्व छात्रों ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सराहना बटोरी है। एफटीआईआई की यह फिल्म टीवी विंग एक वर्षीय कार्यक्रम का निर्माण है, जहां विभिन्न विषयों यानी निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी, संपादन, साउंड के चार छात्रों ने वर्षांत समन्वित अभ्यास के रूप में एक परियोजना पर एक साथ काम किया। फिल्म का निर्देशन चिदानंद एस नाइक ने किया है, फिल्मांकन सूरज ठाकुर ने किया है, संपादन मनोज वी ने किया है और साउंड अभिषेक कदम ने दी है।

राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र ने प्रस्तुत किया नया अध्ययन

राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च -एनसीपीओआर) एवं ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण (ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे), यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से डॉ. बाबुला जेना और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उन स्थितियों की जानकारी दी गई है, जिनके कारण 2023 में अंटार्कटिक में बर्फ के विस्तार में अभूतपूर्व बाधा आने और अधिकतम वार्षिक बर्फ के पीछे हटने की स्थिति उत्पन्न हुई। वैश्विक तापमान में वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) के चलते पिछले दशक में आर्कटिक में समुद्री बर्फकी मात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षति देखी गई है, जबकि अंटार्कटिक में 2015 तक मध्यम वृद्धि का अनुभव हुआ और उसके बाद 2016 से इसमें कमी आने लगी। विशेष रूप से 2016 से 2023 तक प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में अत्यधिक धीमी गति से समुद्री बर्फ के विस्तार या वापसी के साथ 2023 में अचानक इसमें अभूतपूर्व रूप से कमी आ गई। अंटार्कटिक में धीमी गति से बर्फका विस्तार 7 सितंबर 2023 को 1 करोड़ 69 लाख 80 हजार वर्ग किमी की बर्फकी सीमा के साथ वार्षिक अधिकतम से पहले हुआ, जो 1 करोड़ 46 लाख वर्ग किमी की दीर्घावधि औसत से कम था। देखी गए समुद्री बर्फ में इस परिवर्तन का अंतर्निहित कारण वैज्ञानिक समुदाय और नीति निर्माताओं दोनों के लिए ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है।

निष्कर्षों से पता चलता है कि ऊपरी महासागर की अत्यधिक गर्मी (एक्सेसिव अपर ओशन हीट) ने 2023 में बर्फ के विस्तार को कम करने में अपना योगदान दिया, लेकिन वायुमंडलीय परिसंचरण परिवर्तन (एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन चेंजेज) भी अत्यधिक थे और उन्होंने एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हवा के प्रारूप (पैटर्न) में बदलाव जैसे कि अत्यधिक गहरे (एक्सट्रीमली डीप) अमुंडसेन सी लो और इसके पूर्व की ओर बदलाव (ईस्टवार्ड शिफ्ट) के परिणामस्वरूप वेडेल सागर में उत्तर की ओर मजबूत प्रवाह (स्ट्रोंग नोर्थेनली फ्लो) हुआ। उत्तरी हवा ने वायुमंडलीय तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि की और बर्फ के किनारों (आइस-एज) को अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर रहने के लिए विवश किया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अमुंडसेन सी लो, एक कम दबाव वाली प्रणाली होने के कारण, पश्चिम अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री स्थितियों के जलवायु उतार-चढ़ाव पर अत्यधिक प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। रॉस सागर में, बर्फके विस्तार में तेजी से बदलाव मुख्य रूप से वायुमंडलीय ब्लॉक की रिकॉर्ड मजबूती के कारण हुआ, जिसने रॉस आइस शेल्फ से तेज उत्तरी हवाएं प्रवाहित कर दीं। संक्षेप में, गर्म हवा के थपेड़ों के प्रवाह के साथ असाधारण समुद्री-वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि ने हवाओं में बदलाव के प्रभाव, अत्यधिक हवाओं और ध्रुवीय चक्रवातों (तूफानों) से जुड़ी उच्च समुद्री लहरों के साथ मिलकर, अंटार्कटिक में रिकॉर्ड कम बर्फकी स्थिति में योगदान दिया।

विशेष रूप से, चक्रवातों के कारण असाधारण रूप से धीमी गति से बर्फ के विस्तार या यहाँ तक कि इसके पीछे हटने की घटनाएँ हुईं। उदाहरण के लिए, वेडेल सागर में बर्फ का किनारा कुछ ही दिनों में (256 किमी दक्षिण की ओर) तेजी से दक्षिण की ओर खिसक गया, जिससे ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) के आकार के बराबर अर्थात 2.3 गुणा 105 वर्ग किमी के बर्फ क्षेत्र की क्षति हुई। बर्फ-अल्बेडो फीडबैक प्रक्रिया के माध्यम से कम बर्फकी स्थिति का वैश्विक तापमान में वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) की दक्षिणी महासागर में जीवन, क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र, महासागर परिसंचरण, बर्फ शेल्फस्थिरता और समुद्र के स्तर में वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। उपग्रह अवलोकनों (45 वर्ष) के अपेक्षाकृत छोटे रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, यह आकलन करना कठिन है कि क्या पिछले सात वर्षों के दौरान देखी गई बर्फ की मात्रा में कमी और बर्फ की वृद्धि में वर्तमान कमी उस दीर्घकालिक गिरावट का हिस्सा है, जैसा कि जलवायु मॉडल द्वारा अनुमान लगाया गया है। जहां एक ओर प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता हाल ही में बर्फकी मात्रा में कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं मानवजनित कारकों का प्रभाव भी ऐसी विषम घटना को शुरू करने में महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मानवजनित दबाव और जलवायु परिवर्तनशीलता के बीच परस्पर क्रिया अस्पष्ट है और जिसकी आगे जांच की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), भारत का ऐसा प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है जो ध्रुवीय और महासागर विज्ञान में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर कचरा प्रबन्धन पर बल

भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा, सरकार के साथ साझेदारी में, कचरे के उचित प्रबन्धन व री-सायकलिंग के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। साथ ही, सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक रोजगार व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिशें हो रही हैं। वर्तमान में भारत में हर साल 6 करोड़ 20 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें ठोस, प्लास्टिक और ई-कचरा सामग्री प्रमुख है। इस कचरे का प्रबन्धन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण, औपचारिक और अनौपचारिक आर्थिक प्रणालियों, मैनुअल तकनीकों और आधुनिक तकनीकों की एक जटिल प्रक्रिया से किया जाता है। भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के तहत, देश भर की नगरपालिकाओं में इकट्ठा होने वाले ठोस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में, कुल उत्पन्न कचरे का 75 प्रतिशत हिस्सा संसाधित व रीसायकिल किया जा रहा है, जोकि 2014 में 17 प्रतिशत था, और यह एक उल्लेखनीय वृद्धि है। लेकिन कचरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए उसके प्रबन्धन व रीसायकलिंग के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर, इस काम में लगभग 15 लाख सफाई साथियों का मजबूत कार्यबल लगा है, जिसमें कचरा बीनने वाले और अलग करने वाले शामिल हैं।

ये सफाई साथी, री-सायकिल योग्य कचरे को छाँटकर, अलग-करके और फेंके गए कचरे को अर्थव्यवस्था में वापिस लाकर, कुशल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं संसाधन दक्षता में योगदान देते है.. हालाँकि, इनमें से ज्यादातर संख्या अनौपचारिक श्रमिकों की है, जिनके काम को कोई औपचारिक मान्यता नहीं मिलती है। उन्हें अक्सर हाशिए पर धकेले जाने, गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करने और सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा से वंचित होने का खतरा रहता है। इसके मद्देनजर, उनके कामकाज के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना, देश की अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को आगे बढ़ाने तथा एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने का दृष्टिकोण हासिल करने के लिए बहुत अहम है। भारत में स्थित यूएनडीपी, आधुनिक अपशिष्ट प्रबन्धन केंद्र विकसित करने और सफाई साथियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुंबई का दहिसर एमआरएफकेंद्र एक ऐसी ही सुविधा है। एमआरएफ में दिन की शुरुआत, सुबह जल्दी ही होती है। कचरा संग्रहण के लिए जाने से पहले, सफाई साथी सुरक्षा उपकरण पहनते हैं। फिर पृथक्करण (उसे अलग करने) वाले कंटेनरों से सुसज्जित ट्रकों पर, घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। एमआरएफ में, कचरे से भरे ट्रकों का वजन किया जाता है. वजन करने के बाद, सफाई साथी सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध तरीके से अलग करके, कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है। अलग किए गए कचरे को री-सायकलिंग संयंत्रों में भेजने से से पहले पीसा जाता है। भारत में हर साल लगभग 6 करोड़ 20 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से एक बड़ी मात्रा प्लास्टिक की होती है। अपशिष्ट घटाने व री-सायकिल करने की दिशा में व्यवहार परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कदम है। चूँकि सफाई साथी, कचरा इकट्ठा करने के लिए घर-घर जाते हैं, वे घरों में लोगों को कचरा पृथक्करण के महत्व पर जागरूक करने की कोशिश करते है। साथ ही, इस बात पर जोर देते हैं कि इससे न केवल उनका काम आसान व अधिक कुशल बनेगा, बल्कि पर्यावरण की रक्षा होगी, जिससे हर एक व्यक्ति को लाभ पहुँचेगा। आँकड़ों और रणनीतियों से परे, सफाई साथियों के अनुभव कचरा प्रबन्धन के मानवीय आयाम का प्रतीक हैं, जहाँ श्रम की गरिमा बहाल करके, उन लोगों के योगदान को मान्यता दी जा रही है, जो हमारे शहरों को साफरखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।

जयपुर नगर निगम अब वॉट्सऐप के जरिए सुनेगा समस्या

48 घंटे में होगा हर समस्या का समाधान करेगा, अधिकारी फोन कर लेंगे फीडबैक

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर में रहने वाले लोगों को समस्याओं और मूलभूत काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने वॉट्सऐप चैट हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिए आम आदमी घर बैठे वॉट्सऐप के जरिए अपनी सभी समस्याओं और सवालों का समाधान हासिल कर सकेगा।

दरअसल, मई में जयपुर नगर निगम ने वॉट्सऐप चैट हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने मोबाइल के जरिए घर बैठ अपनी सड़क, सीवरेज, सफाई, लाइट, गार्डन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आवारा पशु, जैसी तमाम नगर निगम से संबंधित समस्याओं की शिकायत और जानकारी वॉट्सऐप चैट के जरिए हासिल कर सकेगा।

नगर निगम के हेल्पलाइन सेंटर में जाएगी जानकारी

इसके बाद इसकी सीधी जानकारी नगर निगम के हेल्पलाइन सेंटर में जाएगी। जहां से संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को उसे दुरुस्त करने के निर्देश मिलेंगे। इसके बाद अगले 24 से 48 घंटे में उस समस्या का समाधान होगा। इसके बाद नगर निगम की हेल्पलाइन से ही संबंधित व्यक्ति को फिर से फोन कर उसकी समस्या के समाधान की जानकारी हासिल की जाएगी। ऐसे में अगर संबंधित व्यक्ति समस्या के समाधान से संतुष्ट हुआ तो नगर निगम हेरिटेज के रिकॉर्ड में निस्तारित समस्याओं में उसे शामिल किया जाएगा। अगर संबंधित व्यक्ति उसे समस्या के समाधान से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसकी समस्या को फिर से समझ उसे दुरुस्त किया जाएगा। जब तक संबंधित व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। उस समस्या को निस्तारित नहीं किया जाएगा।

अगर इस प्रक्रिया में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा तो संबंधित विभाग के उपायुक्त सीधे उसे मॉनिटर करेंगे। अगर वह भी उस समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। सीधे नगर निगम के आयुक्त उसे समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया- वॉट्सऐप आजकल हर आदमी इस्तेमाल करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर नगर निगम द्वारा वॉट्सऐप चैट हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। इसके जरिए घर बैठे आम आदमी नगर निगम से संबंधित अपनी किसी भी समस्या का समाधान और सवाल का जवाब हासिल कर सकेगा। इसकी ट्रायल प्रक्रिया जारी है। इसके पूरा होने के बाद आम आदमी के लिए भी इसे शुरू कर दिया जाएगा।

iTVoice® all things tech.

India's Premier IT Magazine & First Daily Tech News OTT

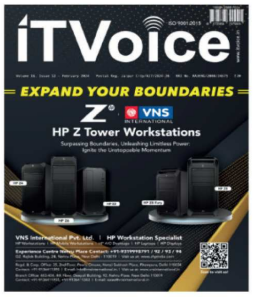

Magazines & Newspapers

Highest Digital Presence

www.itvoice.in

Daily Tech News & Podcasts

Contact for Print & Digital Marketing

+91 141 4014911
info@itvoice.in

ICPL
www.icpljpr.com

Professional IT Support

Domain & Hosting
Web Development
Customized Software Solution
Web Operation
Client / Server Management
Network Maintenance
Service Desk Support
Customized IT Support Services
Dealing in all Major Brands

Informatic Computech Private Limited

Jaipur - Rajasthan (Ph.) +91-141-2280510 md@icpljpr.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक तरूण कुमार टांक के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 52/121, वीरतेजाजी रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-तरूण कुमार टांक Email: mahanagarstambh@gmail.com